



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 8, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. भारत-इंडोनेशिया रणनीतिक समझौता: रक्षा, खनिज और समुद्री सुरक्षा.....	2
2. दिल्ली रिज पुनरुद्धार योजना और मेगा वृक्षारोपण अभियान.....	4
3. अंतरराज्यीय जल विवाद समाधान: चार राज्यों ने नर्मदा समझौते पर हस्ताक्षर किए.....	5
4. विकसित उड़ान (Viksit UDAN): भारत के क्षेत्रीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का कायाकल्प.....	7
4A. भारत में शहरी रोजगार परिदृश्य का प्रबंधन (Navigating the Urban Employment Landscape in India).....	9
5. अल नीनो का खतरा: केंद्र ने 315 संवेदनशील जिलों के लिए पीएमएफबीवाई (PMFBY) नामांकन में तेजी लाई.....	11
6. राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना: पंचायत वित्त के लिए मॉडल दिशानिर्देश.....	12
7. कोचीन शिपयार्ड ओएफएस (OFS): सरकार ने ट्रिगर किया ग्रीन-शू विकल्प.....	14
8. सरकार ने पीएम-सेतु (PM-SETU) के अखिल भारतीय रोलआउट को मंजूरी दी.....	16
9. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक राहत: भारत के लिए समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) दृष्टिकोण.....	17
10. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना.....	19
11. जनगणना पूर्व-परीक्षण (Pre-Test) में जाति को शामिल करना: पद्धतिगत और रणनीतिक आयाम.....	21
12. व्हाट्सएप यूजरनेम विवाद: सूचनात्मक गोपनीयता और साइबर सुरक्षा का संतुलन.....	22

1. भारत-इंडोनेशिया रणनीतिक समझौता: रक्षा, खनिज और समुद्री सुरक्षा

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- ब्रह्मोस मिसाइल सौदा:** भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक कूज मिसाइलों की दो बैटरियों और एस्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति के लिए \$200 मिलियन मूल्य के एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- रणनीतिक खनिज और ऊर्जा:** इस द्विपक्षीय समझौते में महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों (रेयर अर्थ एलिमेंट्स), अंतरिक्ष अन्वेषण और कृषि विकास पर व्यापक सहयोग शामिल है।

- **समुद्री सुरक्षा और बुनियादी ढांचा:** दोनों देश समुद्री सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बंदरगाह बुनियादी ढांचे के संयुक्त विकास को गहरा करने पर सहमत हुए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र की सुरक्षा है।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया और "विकास, विस्तारवाद नहीं" पर जोर देते हुए दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया।
- **सर्वोच्च नागरिक सम्मान:** भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बितांग आदिपूर्णा' (स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया) से सम्मानित किया गया।
- **रक्षा परिचालन का विस्तार:** यह सौदा रक्षा क्षेत्र में भारत के एक शुद्ध आयातक से एक प्रमुख निर्यातक बनने के बदलाव को रेखांकित करता है, जो इसकी तीनों रक्षा सेवाओं में ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की परिचालन सफलता पर आधारित है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **ब्रह्मोस मिसाइल:** भारत के डीआरडीओ (DRDO) और रूस के एनपीओ माशिनोस्ट्रोयेनिया (NPO Mashinostroyeniya) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि से लॉन्च किया जा सकता है।
- **महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स):** ऐसे खनिज पदार्थ (जैसे लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ तत्व) जो आधुनिक तकनीक, हरित ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिनकी आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर रुकावटों का जोखिम रहता है।
- **सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल:** एक निर्देशित मिसाइल जो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर मैक 1 और मैक 5 के बीच की गति (ध्वनि की गति से तेज) से उड़ती है और अपनी पूरी उड़ान के दौरान एक निरंतर गति बनाए रखती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** भारतीय संविधान राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** यह जुड़ाव भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के एक मुख्य स्तंभ के रूप में कार्य करता है, जो आसियान (ASEAN) देशों के साथ संबंधों को आर्थिक सहयोग से ऊपर उठाकर रणनीतिक और रक्षा साझेदारी तक ले जाता है।
- **सागर (SAGAR) सिद्धांत:** क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (Security and Growth for All in the Region - SAGAR) वह समुद्री कानूनी और रणनीतिक ढांचा तैयार करता है जिसके तहत भारत नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री संचार मार्गों (SLOCs) को सुरक्षित करने के लिए तटीय देशों के साथ सहयोग करता है।
- **UNCLOS का अनुपालन:** दोनों देशों ने एकतरफा समुद्री विस्तारवाद का मुकाबला करने और एक खुले व समावेशी भारत-प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के पालन की पुष्टि की।

निष्कर्ष (Conclusion)

नई दिल्ली और जकार्ता के बीच गहराते संबंध भारत की पड़ोस कूटनीति में एक आदर्श बदलाव (पैराडाइम शिफ्ट) का प्रतीक हैं। रक्षा निर्यात को महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के साथ जोड़कर, भारत न केवल अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है बल्कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में खुद को एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी स्थापित कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत-प्रशांत रणनीति।
- **जीएस पेपर III (सुरक्षा और रक्षा):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, रक्षा निर्यात और समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ।

2. दिल्ली रिज पुनरुद्धार योजना और मेगा वृक्षारोपण अभियान**मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)**

- **दिल्ली रिज का पारिस्थितिक पुनरुद्धार:** केंद्र और दिल्ली सरकारों ने जैव विविधता, मिट्टी की गुणवत्ता और स्थानीय जल प्रणालियों के संरक्षण के लिए अगले चार वर्षों में रिज क्षेत्र के 6,300 हेक्टेयर हिस्से का पुनरुद्धार करने का संयुक्त संकल्प लिया है।
- **मेगा वृक्षारोपण अभियान:** 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य पूरी राजधानी में 70 लाख पेड़ लगाना है, जिसमें 20.01 लाख पेड़, 37.07 लाख झाड़ियाँ और 92,960 बांस के पौधे शामिल हैं।
- **संस्थागत देरी को दूर करना:** 1994 में भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के बाद से चले आ रहे तीन दशक पुराने प्रशासनिक विलंब को दूर करते हुए, दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र के 5,000 हेक्टेयर हिस्से को संरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया है ताकि इसे सख्त कानूनी सुरक्षा मिल सके।
- **स्वदेशी जैव विविधता पर ध्यान:** इस अभियान का उद्देश्य जहरीली, आक्रामक और कांटेदार प्रजातियों को चरणबद्ध तरीके से हटाना है जो केवल हरियाली का भ्रम पैदा करती हैं, और उनकी जगह लंबे समय तक जीवित रहने वाली देशी प्रजातियों जैसे पीपल, बरगद, नीम, गूलर, अर्जुन और जामुन को लगाना है।
- **यमुना प्रदूषण में कमी:** 'कचरे से कंचन' (वेस्ट-टू-वेल्थ) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के साथ होने वाले एक आगामी समझौते के माध्यम से दिल्ली की डेरियों से गाय के गोबर को सीधे यमुना नदी में बहाए जाने पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
- **नागरिकों के नेतृत्व में विकेंद्रीकृत शासन:** जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने स्कूलों, निवासियों और संस्थानों को 12.04 लाख मुफ्त पौधे वितरित करने के लिए 'ग्रीन ड्राइव पोर्टल' लॉन्च किया है।

**आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)**

- दिल्ली रिज:** प्राचीन अरावली पर्वतमाला का एक उत्तरी विस्तार जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के प्राथमिक "हरे फेफड़े" (ग्रीन लंग्स) के रूप में कार्य करता है और पश्चिमी भारत से होने वाले मरुस्थलीकरण के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा के रूप में काम करता है।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियां (इन्वेसिव एलियन स्पीशीज):** अपने प्राकृतिक आवास से बाहर लाई गई विदेशी प्रजातियां जो स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ती हैं और भूजल स्तर को कम करती हैं (जैसे रिज में विलायती कीकर या प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा)।
- शहरी हीट आइलैंड प्रभाव (अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट):** एक महानगरीय घटना जहां मानवीय गतिविधियों, कंक्रीट के बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक हरित आवरण के नुकसान के कारण शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक गर्म तापमान का अनुभव करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 48A (नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927:** वह वैधानिक ढांचा जो राज्य सरकारों को वन भूमि को आरक्षित या संरक्षित अधिसूचित करने का अधिकार देता है, जिससे अतिक्रमण और अवैध वनों की कटाई को दंडित करने का तंत्र मिलता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

यमुना के किनारे सक्रिय डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन के साथ दिल्ली रिज का व्यापक पुनरुद्धार टिकाऊ शहरी चयापचय (सस्टेनेबल अर्बन मेटाबॉलिज्म) की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। कानूनी अधिसूचना सुरक्षा उपायों, देशी वृक्षों के वनीकरण और डिजिटल नागरिक इंटरफेस को मिलाकर, यह मॉडल प्रमुख भारतीय महानगरों में गंभीर पर्यावरणीय गिरावट और सूक्ष्म जलवायु (माइक्रो-क्लाइमेट) के उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए एक अनुकरणीय रणनीति प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी):** संरक्षण, पर्यावरणीय गिरावट, नदी प्रदूषण शमन मॉडल और पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार रणनीतियाँ।
- जीएस पेपर II (शासन):** केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद, सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन और नागरिक-केंद्रित पर्यावरणीय शासन।

3. अंतरराज्यीय जल विवाद समाधान: चार राज्यों ने नर्मदा समझौते पर हस्ताक्षर किए

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **बकाया देय राशि का निपटान:** गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (NWDI) के फैसले से जुड़े लंबे समय से लंबित वित्तीय और परिचालन बकाये को निपटाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **लागत-साझाकरण के गतिरोध का समाधान:** यह समझौता बहुउद्देशीय सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के लिए लागत साझा करने के ढांचे, सरदार सागर परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन और निर्माण के दौरान संचित ऋणों पर ब्याज के बोझ को लेकर दशकों पुराने विवादों को सफलतापूर्वक हल करता है।
- **पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था (R&R):** इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लाभार्थी राज्यों में जलमग्न हुई भूमि के लिए मुआवजे और आरएंडआर (R&R) खर्चों के संबंध में वित्तीय देनदारियों का अंतिम निपटान है।
- **जलविद्युत और जल बंटवारा:** यह सौदा नवागाम कैनाल हेड पावर हाउस और रिवर बेड पावर हाउस में उत्पन्न होने वाली शुद्ध बिजली के वितरण और पानी के आवंटन के लिए NWDI द्वारा अंतिम रूप दिए गए संसाधन-साझाकरण मैट्रिक्स को पुष्टा करता है।
- **व्यावहारिक सहकारी संघवाद:** केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की उपस्थिति में निष्पादित यह समझौता राज्य की सीमाओं के पार आम सहमति-आधारित राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से हासिल की गई एक संस्थागत सफलता को उजागर करता है।
- **परिवर्तनकारी क्षेत्रीय प्रभाव:** विवाद का यह समाधान सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे विशेष रूप से राजस्थान और उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **अंतरराज्यीय नदी जल विवाद:** एक अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण को लेकर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जल-बंटवारा या वित्तीय असहमति।
- **न्यायाधिकरण का निर्णय (ट्रिब्यूनल अवार्ड):** उन संघर्षों को हल करने के लिए विशिष्ट कानूनों के तहत केंद्र द्वारा गठित न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक बाध्यकारी, वैधानिक निर्णय, जिन पर फैसला सुनाने का अधिकार क्षेत्र या तकनीकी विशेषज्ञता नियमित अदालतों के पास नहीं होती है।
- **पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था (Resettlement & Rehabilitation - R&R):** बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे या सिंचाई विकास द्वारा विस्थापित आबादी को मुआवजा देने, उन्हें फिर से बसाने और उनकी आजीविका को बहाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक राज्य-निर्देशित ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **संविधान का अनुच्छेद 262:** अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए संवैधानिक तंत्र प्रदान करता है, और यदि संसद ऐसा कानून बनाती है तो इस तरह के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के अधिकार क्षेत्र को रोकता है।

- **अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956:** अनुच्छेद 262 के तहत अधिनियमित, यह केंद्र सरकार को एक तदर्थ (एड-हॉक) न्यायाधिकरण (जैसे 1969 में NWDT) स्थापित करने का अधिकार देता है जिसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट की डिक्री के समान महत्व रखता है।
- **सातवीं अनुसूची आवंटन:** पानी मूल रूप से राज्य का विषय है (सूची II की प्रविष्टि 17), लेकिन यह सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है, जो केंद्र सरकार को संसद द्वारा घोषित सीमा तक अंतरराज्यीय नदियों को विनियमित और विकसित करने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

NWDT के फैसले के बकाया वित्तीय और संरचनात्मक पहलुओं का समाधान भारत में जल प्रशासन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। संस्थागत मुकदमों की जगह आम सहमति से संचालित राजकोषीय समझौतों को अपनाकर, यह समझौता व्यावहारिक सहकारी संघवाद के चश्मे से जटिल, लंबे समय से चले आ रहे जल विवादों को हल करने का एक नया मानक स्थापित करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** अंतरराज्यीय संबंध, अनुच्छेद 262, वैधानिक न्यायाधिकरण और एक संघीय ढांचे में वैधानिक विवाद समाधान तंत्र।
- **जीएस पेपर III (बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था):** बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, सिंचाई संबंधी चुनौतियां, जल संसाधन प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास पहल।

4. विकसित उड़ान (Viksit UDAN): भारत के क्षेत्रीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र का कायाकल्प

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

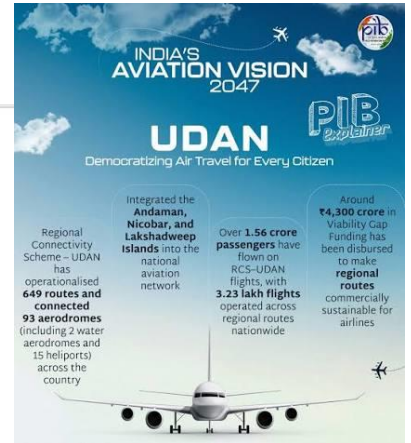
- **विकसित उड़ान की शुरुआत:** दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने और पिछले परिचालन अंतरालों को ठीक करने के लिए, प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय संपर्क योजना के अगले दशक लंबे चरण की औपचारिक शुरुआत की, जिसका नाम 'विकसित उड़ान' (संशोधित उड़ान) रखा गया है।
- **बढ़ा हुआ वित्तीय परिव्यय:** यह उन्नत योजना अल्पकालिक हस्तक्षेपों से हटकर ₹28,840 करोड़ के बड़े केंद्रीय बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित एक संरचनात्मक 10-वर्षीय नीति खाके (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36) में परिवर्तित होती है।
- **लक्षित पूंजीगत व्यय:** संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए, सरकार ने 100 अप्रयुक्त या कम उपयोग की जाने वाली हवाई पट्टियों को कार्यात्मक क्षेत्रीय हवाई अड्डों में बदलने के लिए ₹12,159 करोड़ और 200 आधुनिक हेलीपैड बनाने के लिए ₹3,661 करोड़ निर्धारित किए हैं।
- **परिचालन और रखरखाव (O&M) सुरक्षा कवच:** क्षेत्रीय हवाई अड्डों के बंद होने की गंभीर समस्या का समाधान करते हुए, यह योजना एक समर्पित ₹2,577 करोड़ का ओएंडएम (O&M) कोष बनाती है, जिसके

तहत शुरूआती तीन वर्षों के लिए प्रति हवाई अड्डे ₹3.06 करोड़ और प्रति हेलीपोर्ट ₹0.90 करोड़ की वार्षिक सहायता की सीमा तय की गई है।

- **संशोधित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF):** भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के ऑडिट द्वारा उजागर किए गए समय से पहले रूट बंद होने की समस्या को रोकने के लिए, 10 वर्षों में वीजीएफ (VGF) के लिए ₹10,043 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो धीरे-धीरे कम होने वाली वित्तीय सहायता के साथ एयरलाइनों को पांच साल तक सहायता प्रदान करेगा।
- **स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा:** आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप, यह चरण घरेलू विमानन प्लेटफार्मों की खरीद और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के लिए एचएएल (HAL) ध्रुव हेलीकॉप्टरों और एचएएल डोर्नियर विमानों का उपयोग किया जाएगा।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding - VGF):** सरकार द्वारा उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्रदान किया जाने वाला एकमुश्त या संरचित वित्तीय अनुदान जो आर्थिक रूप से उचित और सामाजिक रूप से आवश्यक हैं, लेकिन जिनमें तत्काल व्यावसायिक लाभ (कमर्शियल प्रॉफिट) की कमी है।
- **हवाई अड्डा / विमानक्षेत्र (Aerodrome):** भूमि या पानी पर एक परिभाषित क्षेत्र (इमारतों, प्रतिष्ठानों और उपकरणों सहित) जिसका उपयोग पूरी तरह से या आंशिक रूप से विमानों के आगमन, प्रस्थान और सतह के संचलन के लिए किया जाता है।
- **चैलेंज मोड (Challenge Mode):** एक निष्पक्ष खरीद तंत्र जहां राज्य केंद्रीय बुनियादी ढांचा कोष हासिल करने के लिए पूर्वनिर्धारित संकेतकों (जैसे भूमि आवंटन, वित्तीय रियायतों) के आधार पर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (NCAP) 2016:** वह व्यापक वैधानिक नीति ढांचा जिसने हवाई किराए की सीमा (फेयर कैप) और कर रियायतों के माध्यम से घरेलू हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) की परिकल्पना की थी।
- **संघ सूची क्षेत्राधिकार (सातवीं अनुसूची):** संविधान की अनुसूची 7 की सूची 1 की प्रविष्टि 29 के तहत, हवाई मार्गों, विमानों और हवाई नौवहन का विनियमन, संचालन और विकास विशेष रूप से संसद के विधायी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- **संघीय वित्तीय रियायतें:** इस योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए, राज्य सरकारें क्षेत्रीय केंद्रों पर विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर मूल्य वर्धित कर (VAT) को घटाकर 1% या उससे कम करने के लिए बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर करती हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

विकसित उड़ान भारत के क्षेत्रीय विमानन को सब्सिडी पर निर्भर मॉडल से हटाकर एक भारी बुनियादी ढांचे-समर्थित, टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ले जाती है। व्यवस्थित संपत्ति निर्माण, विस्तारित वीजीएफ (VGF) श्रेणियों और

स्थानीय ओएंडएम (O&M) वित्तपोषण के माध्यम से शुरुआती रूट बंद होने की कमियों को दूर करके, राज्य का लक्ष्य टियर-2 और टियर-3 अर्थव्यवस्थाओं को सीधे राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था):** विमानन बुनियादी ढांचा, बहु-साधन परिवहन एकीकरण, मूल्य निर्धारण तंत्र और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ढांचा।
- जीएस पेपर II (शासन और सार्वजनिक नीति):** केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, परिणाम-बजट (आउटकम-बजटिंग), कैग (CAG) के ऑडिट निष्कर्ष और राज्य-स्तरीय नीति अनुपालन।

4A. भारत में शहरी रोजगार परिदृश्य का प्रबंधन (Navigating the Urban Employment Landscape in India)

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- व्यापक नौकरी खोज संकट:** 207 शहरों में 10,000 से अधिक उत्तरदाताओं को कवर करने वाले मिंग-यूगोव-सीपीआर (Mint-YouGov-CPR) मिलेनियल सर्वे के अनुसार, लगभग 70% शहरी भारतीयों को रोजगार तलाशने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- कठिनाई की गंभीरता:** शहरी नौकरी चाहने वालों का एक बड़ा हिस्सा (27.4%) वर्तमान रोजगार बाजार को "अत्यंत कठिन" बताता है, जिससे यह इस अध्ययन में सबसे बड़ा उत्तरदाता वर्ग बन गया है।
- बाजार के अनुभव में असंतुलन:** सर्वेक्षण के आंकड़े रोजगार तक पहुंच में एक बड़ा अंतर दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि केवल 27.6% शहरी युवा सक्रिय आजीविका खोजने को एक आसान प्रक्रिया मानते हैं।
- संरचनात्मक अंतर की चुनौती:** ये निष्कर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर एक गहरी संरचनात्मक समस्या को उजागर करते हैं, जहां बढ़ती शैक्षिक योग्यता स्वचालित रूप से औपचारिक क्षेत्र (फॉर्मल सेक्टर) में नौकरियों के निर्माण में नहीं बदल पा रही है।
- जोखिम में युवा जनसांख्यिकी:** यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से सहस्राब्दियों (मिलेनियल्स) और शहरी युवाओं की भावनाओं को दर्शाता है, जो एक ऐसा महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय वर्ग है जिसका लाभकारी रोजगार भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का लाभ उठाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- भौगोलिक विस्तार:** 207 कस्बों और शहरों में फैली यह व्यापक भावना उजागर करती है कि रोजगार का संकट केवल छोटे शहरों या विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रमुख और छोटे भारतीय शहरी केंद्रों में एक समान व्यापक समष्टि (मैक्रो) चुनौती है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend):** आर्थिक विकास की वह क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से तब जब कार्यशील आयु वर्ग (15 से 64 वर्ष) का हिस्सा गैर-कार्यशील आयु वर्ग के हिस्से से बड़ा होता है।

- **संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment):** अनैच्छिक बेरोजगारी का एक रूप जो अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के पास उपलब्ध कौशल और नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों से मांगी जाने वाली विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं के बीच बेमेल (मिसमैच) होने के कारण होता है।
- **श्रम का शहरीकरण (Urbanization of Labor):** वह व्यापक आर्थिक संक्रमण जिसमें देश के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि आजीविका से दूर हटकर शहरी-केंद्रित औद्योगिक, सेवा और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों की ओर बढ़ता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 39(a) (नीति निदेशक तत्व):** यह अधिदेश देता है कि राज्य अपनी नीति को इस प्रकार संचालित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित हो सके।
- **अनुच्छेद 41 (काम का अधिकार):** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरंतर विस्तारित इस अधिकार में आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया गया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायसंगत और उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा उसकी आजीविका के साधनों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- **मजदूरी संहिता, 2019 (Code on Wages, 2019):** युक्तिसंगत बनाए गए श्रम संहिताओं का हिस्सा जिसका उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी को विनियमित करना और विभिन्न क्षेत्रों में सार्वभौमिक मजदूरी फर्श (यूनिवर्सल वेज फ्लोर) स्थापित करके शहरी रोजगार सुरक्षा को बदलना है।

निष्कर्ष (Conclusion)

शहरी रोजगार सर्वेक्षण द्वारा उजागर की गई कड़वी वास्तविकताएं केवल आर्थिक विकास के बजाय रोजगार-लोचदार विकास (एम्प्लॉयमेंट-इलास्टिक ग्रोथ) की ओर बढ़ने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देती हैं। शहरी रोजगार की पहली को सुलझाने के लिए औपचारिक शिक्षता (अप्रेंटिसशिप) पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच कौशल अंतर को पाटने और एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश को जनसांख्यिकीय आपदा बनने से रोकने के लिए संरचित शहरी आजीविका ढांचे को पेश करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** नियोजन (प्लानिंग), संसाधनों को जुटाने, विकास, प्रगति और रोजगार से संबंधित मुद्दे; रोजगारविहीन विकास (जॉबलेस ग्रोथ) की चुनौतियाँ।
- **जीएस पेपर II (सामाजिक न्याय और शासन):** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; मानव संसाधन विकास और कौशल पहल।

5. अल नीनो का खतरा: केंद्र ने 315 संवेदनशील जिलों के लिए पीएमएफबीवाई (PMFBY) नामांकन में तेजी लाई

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- मानसून के कमजोर होने की चिंताएं:** तीव्र होती अल नीनो स्थितियों और गंभीर रूप से कमजोर दक्षिण-पश्चिम मानसून के जवाब में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के नामांकन में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान:** कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और ओडिशा सहित 12 राज्यों के 315 जिलों को फसल खराब होने के प्रति अत्यधिक संवेदनशील के रूप में चिह्नित किया है।
- स्तरीकृत प्राथमिकता मैट्रिक्स (Tiered Priority Matrix):** मैप किए गए 315 जिलों में से 111 को उच्च प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि वहाँ महत्वपूर्ण सिंचाई कवरेज 25% से नीचे है, जबकि 76 जिले मध्यम प्राथमिकता (25% से 50% सिंचाई) और 128 जिले कम प्राथमिकता वाले चिह्नित हैं।
- बहुस्तरीय वित्तीय सुरक्षा कवच:** ग्रामीण आय को सुरक्षित करने के लिए सरकार तीन प्रमुख नीतिगत साधनों को एक साथ ला रही है—पैदावार के नुकसान से सुरक्षा के लिए पीएमएफबीवाई (PMFBY), कार्यशील पूंजी के लिए त्वरित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आवंटन, और पीएम-किसान (PM-KISAN) के माध्यम से प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण।
- प्रौद्योगिकी-संचालित उपज मूल्यांकन:** बीमा दावों का निपटान पूरी तरह से कृषि-कृषि जलवायु परिस्थितियों और स्थानीयकृत फसल कटाई प्रयोगों (CCEs) के परिणामों के आधार पर किया जाएगा, जिसका मूल्यांकन पिछले सात वर्षों की गतिशील औसत उपज के मुकाबले किया जाएगा।
- नया स्थानीयकृत पशु-संघर्ष कवर:** आधुनिक पारिस्थितिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, यह ढांचा वन क्षेत्रों के पास स्थित कृषि भूमि के लिए वन्यजीवों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान के खिलाफ एक वैकल्पिक एड-ऑन कवर पेश करके स्थानीयकृत जोखिम श्रेणियों का विस्तार करता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- अल नीनो (El Niño):** एक जलवायु पैटर्न जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की विशेषता रखता है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में कम मानसूनी वर्षा और सूखे के चक्रों से संबंधित रहा है।
- दीर्घकालिक औसत (Long Period Average - LPA):** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा यह गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली 50-वर्षीय अवधि में मापी गई बेंचमार्क वर्षा, जिससे पता चलता है कि मानसून का मौसम सामान्य है, न्यून है या अधिक है।

- फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment - CCE):** एक व्यावहारिक कृषि मूल्यांकन पद्धति जिसमें औसत फसल उपज का सटीक मूल्यांकन करने और बीमा भुगतान के लिए दहलीज सीमा (थ्रेशोल्ड लॉस) निर्धारित करने के लिए एक निर्दिष्ट प्लॉट के आकार की फसल काटी जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- अनुच्छेद 48 (नीति निदेशक तत्व):** टिकाऊ ग्रामीण उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 21 (आजीविका का अधिकार):** सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि प्रणालीगत जलवायु झटकों के खिलाफ कृषि आजीविका का संरक्षण गरिमा के साथ जीने के अधिकार के अंतर्गत निहित है।
- PMFBY के परिचालन दिशानिर्देश:** एक वैधानिक नीति ढांचा जो किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अधिकतम प्रीमियम को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% पर सीमित करता है, जिसमें शेष राशि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा भारी सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अल नीनो के बढ़ते व्यवधानों से पहले पीएमएफबीवाई (PMFBY) का तेजी से क्रियान्वयन आपदा के बाद मिलने वाली राहत से हटकर आपदा से पूर्व होने वाले जलवायु-जोखिम शासन (एक्स-एंटी क्लाइमेट-रिस्क गवर्नेंस) की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जल-तनाव वाले जिलों में लक्षित, विज्ञान-आधारित आकस्मिक योजना के साथ डिजिटल नामांकन इंटरफेस को जोड़कर, राज्य एक ऐसा संस्थागत अवरोध खड़ा करना चाहता है जो कृषि झटकों और ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति को बेअसर करने में सक्षम हो।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और कृषि):** सरकारी बजट, कृषि बीमा तंत्र, फसल के पैटर्न और प्रमुख फसल सुरक्षा ढाँचे।
- जीएस पेपर III (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन):** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जल संसाधन प्रबंधन और जलवायु-अनुकूल कृषि पर अल नीनो जैसी जलवायु विसंगतियों का प्रभाव।

6. राजकोषीय संघवाद को मजबूत करना: पंचायत वित्त के लिए मॉडल दिशानिर्देश

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- मॉडल ओएसआर (OSR) दिशानिर्देशों की शुरुआत:** पंचायती राज मंत्रालय भारत की 262,000 ग्राम पंचायतों के लिए मॉडल स्व-स्रोत राजस्व (Own Source Revenue - OSR) दिशानिर्देश तैयार कर रहा है ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाया जा सके और केंद्रीय तथा राज्य अनुदानों पर उनकी अत्यधिक निर्भरता को कम किया जा सके।
- 16वें वित्त आयोग के साथ संरेखण:** यह कदम संरचनात्मक रूप से 16वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के प्रमुख उद्देश्य के साथ संरेखित है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करते हुए

ग्रामीण स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधन जुटाने को अनुकूलतम बनाना चाहता है।

- **राज्यों के बीच राजस्व में भारी असमानता:** वर्तमान में, 42% ग्राम पंचायतें ओएसआर (OSR) के रूप में सालाना ₹1 लाख से भी कम एकत्र करती हैं, जिसमें राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति ओएसआर केवल ₹100 है। इसके विपरीत, पश्चिमी और दक्षिणी भारत की कुछ पंचायतें सालाना ₹10 करोड़ से अधिक उत्पन्न करती हैं।
- **राजस्व धाराओं का विविधीकरण:** मॉडल ढांचा प्रमुख कर और गैर-कर मार्गों को सूचीबद्ध करता है जिसमें संपत्ति कर, भवन और व्यापार लाइसेंस शुल्क, जल आपूर्ति और स्वच्छता उपयोगकर्ता शुल्क, बाजार शुल्क और सामान्य संपत्ति संसाधनों को पट्टे पर देना शामिल है।
- **डेटा प्रणालियों का मानकीकरण:** ये दिशानिर्देश व्यक्तिगत राज्यों द्वारा व्यापक रूप से भिन्न नगरपालिका ढांचों के तहत पंचायतों को शासित करने के कारण पैदा होने वाले गंभीर डेटा संग्रह और रिकॉर्डिंग अंतरालों को हल करते हैं, जिससे वित्तीय ट्रैकिंग के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय टेम्पलेट सक्षम होता है।
- **प्रदर्शन-लिंकड प्रोत्साहन:** अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र भविष्य के प्रदर्शन से जुड़े वित्तीय आवंटन को ग्राम परिषदों द्वारा अपने स्थानीय कर आधारों को जुटाने में किए गए सत्यापन योग्य सुधारों से जोड़ेगा।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **स्व-स्रोत राजस्व (Own Source Revenue - OSR):** वह राजस्व जो एक स्थानीय सरकारी निकाय उच्च सरकारी हस्तांतरणों से स्वतंत्र होकर, अपने स्वयं के कर लेवी (जैसे, संपत्ति कर) और गैर-कर स्रोतों (जैसे, उपयोगकर्ता शुल्क) के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जुटाता है।
- **ग्राम पंचायत:** भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का सबसे निचला स्तर जो ग्राम या छोटे शहर के स्तर पर काम करता है, और ग्राम सभा की वैधानिक कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करता है।
- **राजकोषीय स्वायत्तता (Fiscal Autonomy):** किसी उप-राष्ट्रीय या स्थानीय सरकारी इकाई को अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय संसाधनों को जुटाने, प्रबंधित करने और आवंटित करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता की डिग्री।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992:** संविधान में भाग IX और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जिसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को वैधानिक मान्यता और त्रि-स्तरीय संरचना प्रदान की।
- **अनुच्छेद 243H:** स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार देता है जो पंचायतों को विशिष्ट कर, शुल्क, टोल और उपयोगकर्ता शुल्क लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- **अनुच्छेद 243I:** पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्य तथा स्थानीय निकायों के बीच शुद्ध कर प्राप्तियों के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल में एक राज्य वित्त आयोग (SFC) के गठन का आदेश देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

मानकीकृत ओएसआर (OSR) दिशानिर्देशों को जारी करना स्थानीय शासन को पंगु बनाने वाली "3Fs" (फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज - धन, कार्य और कार्यकर्ता) की क्लासिक संरचनात्मक चुनौती का समाधान करता है। पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण के निष्क्रिय प्रशासनिक प्राप्तकर्ताओं से स्थानीय स्वशासन की सक्रिय, आत्मनिर्भर इकाइयों में परिवर्तित करना वास्तव में विकेंद्रीकृत जमीनी स्तर के लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राज्यव्यवस्था और शासन):** संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण, और 73वें संवैधानिक संशोधन का संरचनात्मक प्रभाव।
- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** संसाधनों का जुटाना, समावेशी विकास और ग्रामीण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वित्तपोषण।

7. कोचीन शिपयार्ड ओएफएस (OFS): सरकार ने ट्रिगर किया ग्रीन-शू विकल्प

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **ग्रीन-शू विकल्प का उपयोग:** बोली लगाने के पहले दिन संस्थागत निवेशकों की भारी मांग को देखते हुए, केंद्र सरकार ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) के लिए अपने ऑफर फॉर सेल (OFS) में पूर्ण ग्रीन-शू विकल्प का उपयोग करने का निर्णय लिया।
- **कुल हिस्सेदारी का विनिवेश:** ओवर-अलॉटमेंट (अतिरिक्त आवंटन) विकल्प को सक्रिय करके, सरकार ने विनिवेश के आकार का विस्तार किया और राज्य के स्वामित्व वाले इस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में केवल आधार आकार के बजाय अपनी पूरी नियोजित 5.04% हिस्सेदारी बेच दी।
- **संस्थागत मांग का मुख्य चालक:** यह निर्णय तब लिया गया जब गैर-खुदरा या संस्थागत निवेशकों ने अपने आवंटित कोटे को तेजी से ओवरसब्सक्राइब कर दिया, जो भारत के रक्षा और जहाज निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में मजबूत बाजार विश्वास को दर्शाता है।
- **पूंजी जुटाने की रणनीति:** यह लेनदेन सरकार की गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति (नॉन-डेट कैपिटल रिसीट्स) रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति का दबाव डाले बिना राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गैर-कर राजस्व सुरक्षित करने में मदद करता है।
- **रणनीतिक पीएसयू पर नियंत्रण बरकरार:** हिस्सेदारी बेचने के बावजूद, सरकार कोचीन शिपयार्ड में एक महत्वपूर्ण और कमांडिंग बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसका प्रबंधन नियंत्रण और रणनीतिक संरक्षण सुनिश्चित होता है।



- रक्षा स्वदेशीकरण को बढ़ावा:** कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) का मजबूत बाजार मूल्यांकन राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जिसे भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक, आईएनएस विक्रान्त (INS Vikrant) के सफल निर्माण द्वारा रेखांकित किया गया है।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- ऑफर फॉर सेल (OFS):** एक सरलीकृत, एक्सचेंज-आधारित बोली मंच (बिडिंग प्लेटफॉर्म) जो सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के प्रमोटरों को अपनी शेयरधारिता कम करने और सीधे जनता, संस्थागत निवेशकों तथा खुदरा खरीदारों को शेयर बेचने की अनुमति देता है।
- ग्रीन-शू विकल्प (Green-Shoe Option):** इक्विटी पेशकश में एक ओवर-अलॉटमेंट प्रावधान जो जारीकर्ता या विक्रेता को यह कानूनी अधिकार देता है कि यदि निवेशकों की मांग अनुमान से अधिक हो, तो वह मूल योजना से अधिक शेयर बेच सकता है।
- विनिवेश (Disinvestment):** किसी सरकार या संगठन द्वारा किसी संपत्ति या सहायक कंपनी को बेचने या समाप्त करने की कार्रवाई, जिसमें विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में राज्य की हिस्सेदारी को कम करना शामिल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 266(1):** यह अनिवार्य करता है कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, जिसमें पीएसयू विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं, सीधे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा की जानी चाहिए।
- राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF):** 2005 में गठित यह वैधानिक कोष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त राशि को रखता है, जिसे कानूनी रूप से सामाजिक बुनियादी ढांचे और व्यवहार्य पीएसयू में पूंजीगत निवेश के लिए आवंटित किया जाता है।
- सेबी (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित वैधानिक दिशानिर्देश जो बाजार हेरफेर को रोकने के लिए ग्रीन-शू विकल्पों के संचालन, उनकी अधिकतम सीमाओं और स्थिरीकरण अवधि को कड़ाई से नियंत्रित करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

कोचीन शिपयार्ड ओएफएस (OFS) का सफल निष्पादन और इसके ग्रीन-शू विकल्प का तत्काल सक्रिय होना भारत की सार्वजनिक रक्षा विनिर्माण क्षमताओं के लिए उच्च निवेश रुचि की पुष्टि करता है। इक्विटी बाजारों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर, राज्य दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करता है: राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को मजबूत करने के लिए गैर-ऋण वित्तीय संसाधन जुटाना और साथ ही एक प्रमुख रणनीतिक उद्यम में सार्वजनिक स्वामित्व का लोकतंत्रीकरण करना।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** संसाधनों का जुटाना, सरकारी बजट, सार्वजनिक क्षेत्र की विनिवेश नीति और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां।
- जीएस पेपर III (सुरक्षा और बुनियादी ढांचा):** प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, रक्षा विनिर्माण क्षमता और समुद्री सुरक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

8. सरकार ने पीएम-सेतु (PM-SETU) के अखिल भारतीय रोलआउट को मंजूरी दी

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- अखिल भारतीय रोलआउट:** राष्ट्रीय संचालन समिति ने 200 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) समूहों (क्लस्टर) में 'अपग्रेडेड आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन' (PM-SETU) योजना के अखिल भारतीय रोलआउट को औपचारिक मंजूरी दे दी है।
- बड़ा बजटीय आवंटन:** इस मेगा कौशल पहल को ₹60,000 करोड़ के पर्याप्त राष्ट्रीय बजटीय परिव्यय का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य बहु-वर्षीय क्षितिज पर व्यावसायिक पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्गठन करना है।
- रणनीतिक वित्तीय स्वीकृतियां:** व्यापक रोलआउट के साथ, चौथी राष्ट्रीय संचालन समिति ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को शुरू करने के लिए ₹1,237.58 करोड़ की तत्काल, स्थानीयकृत रणनीतिक निवेश योजनाओं को मंजूरी दी।
- हब-एंड-स्पोक बुनियादी ढांचा:** यह परिवर्तन मौजूदा आईटीआई को विशिष्ट प्रौद्योगिकी हब में अपग्रेड करने पर निर्भर करता है, जिससे उभरते क्षेत्रों में उन्नत औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण सक्षम हो सके।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर ध्यान:** इस योजना का उद्देश्य कॉर्पोरेट साझेदारियों, कॉर्पोरेट इंटरनशिप और आईटीआई प्रयोगशालाओं में आधुनिक मशीनरी को सक्रिय रूप से एकीकृत करके शैक्षणिक आउटपुट और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच के अंतर को व्यवस्थित रूप से पाटना है।
- युवा रोजगार क्षमता को बढ़ाना:** अप्रचलित पाठ्यक्रमों के स्थान पर भविष्य के लिए तैयार कौशल (जैसे एआई, रोबोटिक्स और हरित ऊर्जा रखरखाव) को लाकर, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी व्यावसायिक छात्रों के प्लेसमेंट रूपांतरण दरों को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI):** विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में लक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तहत गठित भारत में माध्यमिक-पश्चात (पोस्ट-सेकेंडरी) स्कूल।
- हब-एंड-स्पोक मॉडल (Hub-and-Spoke Model):** एक बुनियादी ढांचा वितरण नेटवर्क जहां एक केंद्रीकृत 'हब' विशिष्ट संसाधन प्रणालियां स्थापित करता है और परिधीय नोड्स (स्पोक्स) को ज्ञान, उपकरण या प्रशिक्षण की पहुंच प्रदान करता है।
- कौशल बेमेल (Skill Mismatch):** एक संरचनात्मक आर्थिक घटना जहां घरेलू कार्यबल के पास मौजूद तकनीकी क्षमताएं, योग्यताएं और व्यावहारिक कौशल नियोक्ताओं की परिचालन मांगों के अनुरूप नहीं होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 41 (नीति निदेशक तत्व):** राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी या कम सेवा वाली स्थितियों में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता।
- **समवर्ती सूची क्षेत्राधिकार (सातवीं अनुसूची):** श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को प्रशासनिक नीति ढांचे को सह-निर्मित करने का अधिकार देता है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास नीति:** वह वैधानिक व्यापक नीति ढांचा जो सभी भारतीय व्यावसायिक क्षेत्रों में मानकीकरण, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (NSQF) के संरेखण और राष्ट्रीय प्रमाणन गुणवत्ता नियंत्रण को नियंत्रित करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पीएम-सेतु (PM-SETU) का अखिल भारतीय कार्यान्वयन भारत के लंबे समय से उपेक्षित व्यावसायिक बुनियादी ढांचे के संरचनात्मक ओवरहाल का प्रतिनिधित्व करता है। 200 रणनीतिक रूप से चयनित आईटीआई समूहों में ₹60,000 करोड़ का निवेश करके, राज्य औद्योगिक कौशल अंतर की गंभीर चुनौती का समाधान करता है, जिससे बुनियादी प्रशिक्षण केंद्रों को आधुनिक, उद्योग से जुड़े उत्कृष्टता केंद्रों में बदला जा सके जो औपचारिक क्षेत्र के रोजगार को बढ़ावा देने में सक्षम हों।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (शासन और सार्वजनिक नीति):** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** रोजगार, संसाधनों का जुटाना, औद्योगिक विकास और लक्षित सार्वजनिक निवेश के माध्यम से जनसांख्यिकीय लाभांश का संरचनात्मक अहसास।

9. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक राहत: भारत के लिए समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) दृष्टिकोण

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- **अमेरिका-ईरान समझौता:** संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने पश्चिम एशियाई संकट को कम करने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पूरी तरह से फिर से खोलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) संपन्न किया।
- **कच्चे तेल की कीमतों में नरमी:** इस राजनयिक सफलता के बाद, भारतीय कच्चे तेल की टोकरी (बास्केट) अप्रैल 2026 के \$114.5 प्रति बैरल के औसत उच्च स्तर से कम होकर जून के अंत तक \$86.3 प्रति बैरल पर आ गई, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 के शेष भाग के लिए इस सीमा से नीचे मूल्य स्थिरता का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- **वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दोहरी चुनौतियाँ:** वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज करने के बावजूद, भारत को पहली तिमाही के ऊर्जा आपूर्ति झटकों और गंभीर अल नीनो-प्रेरित

मानसून की कमी के कारण वित्त वर्ष 2026-27 में विकास की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आरबीआई ने 6.6% की कम वास्तविक विकास दर का अनुमान लगाया है।

- **नाममात्र विकास और कर मजबूती:** उच्च अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक (इंप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर - IPD) आधारित मुद्रास्फीति—थोक और उपभोक्ता आधारों के बढ़ने के कारण 5.4% अनुमानित—के कारण नाममात्र (नॉमिनल) जीडीपी वृद्धि को 12.4% तक बढ़ाने का अनुमान है, जो बजटीय अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करेगी और राष्ट्रीय कर संग्रह को मजबूत करेगी।
- **राजकोषीय घाटा और भंडार प्रबंधन:** आरबीआई द्वारा ₹2.69 लाख करोड़ के बड़े लाभांश भुगतान से उत्साहित, राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.3% के बजटीय लक्ष्य के करीब रहने की उम्मीद है, जिससे बढ़ते उर्वरक और खाद्य सब्सिडी बिलों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच मिलेगा।
- **कच्चे तेल के आयात पर बढ़ती निर्भरता:** एक दीर्घकालिक संरचनात्मक संवेदनशीलता को उजागर करते हुए, विदेशी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 90% से अधिक हो गई है, जो वित्त वर्ष 2011-12 में 35.9 MMT के उच्चतम घरेलू उत्पादन से गिरकर वर्तमान में 26 MMT रह गई है, जिससे समुद्री पारगमन गलियारों (मैरीटाइम ट्रांजिट कॉरिडोर) का विविधीकरण अनिवार्य हो गया है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकीर्ण, अत्यधिक संवेदनशील चोकपॉइंट, जो प्राथमिक समुद्री पारगमन धमनी के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से वैश्विक पेट्रोलियम तरल पदार्थों का एक-पांचवां से अधिक हिस्सा गुजरता है।
- **अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक (Implicit Price Deflator - IPD):** मुद्रास्फीति का एक व्यापक समष्टि आर्थिक माप जिसकी गणना वास्तविक जीडीपी के मुकाबले नाममात्र जीडीपी के अनुपात के रूप में की जाती है, जो सभी घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के बदलते मूल्य स्तरों को दर्शाता है।
- **चालू खाता घाटा (Current Account Deficit - CAD):** किसी देश के व्यापार संतुलन को ट्रैक करने वाला एक मीट्रिक जहां आयातित वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरण का कुल मूल्य उसके निर्यात के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 266(1):** भारत की संचित निधि के भीतर सभी कर राजस्व, सार्वजनिक ऋण और संप्रभु लाभांश (जैसे ₹2.69 लाख करोड़ का आरबीआई भुगतान) की वैधानिक ट्रैकिंग को अनिवार्य करता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** वह वैधानिक ढांचा जो केंद्र सरकार को एक संरचित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग के लिए बाध्य करता है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी के 4.3% के आधार स्तर के करीब राजकोषीय घाटे को बनाए रखना है।
- **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:** घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में दक्षता मानदंडों को लागू करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है, जो जीडीपी की प्रति इकाई भारत की ऊर्जा और पेट्रोलियम तीव्रता में देखी गई गिरावट में सीधे योगदान देता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

पश्चिम एशियाई संघर्ष का कम होना भारत को अपने व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) बुनियादी सिद्धांतों को सुरक्षित करने का एक आवश्यक अवसर प्रदान करता है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के माध्यम से तत्काल राजकोषीय झटकों को बेअसर करके और मजबूत नाममात्र कर राजस्व का उपयोग करके, राज्य को प्राथमिक वस्तुओं के रणनीतिक भंडार के निर्माण और लगातार संरचनात्मक आयात जोखिमों का मुकाबला करने के लिए हरित ऊर्जा विकल्पों में अपने संक्रमण को तेज करने को आक्रामक रूप से प्राथमिकता देनी चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था):** संसाधनों का जुटाना, विकास और योजना, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, मुद्रास्फीति सूचकांक (WPI/CPI/IPD) और भुगतान संतुलन (बैलेंस ऑफ पेमेंट्स)।
- जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते, रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक समुद्री चोकपॉइंट्स की भू-राजनीति।

10. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना**मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)**

- T20 मोड में संक्रमण:** द्विपक्षीय संबंध पारंपरिक 3Cs (कॉमनवेल्थ, क्रिकेट, करी) और 3Ds (डेमोक्रेसी, डायस्पोरा, दोस्ती) से आगे बढ़कर विकास, रक्षा, ऊर्जा और शिक्षा पर आधारित एक तीव्र रणनीतिक मैट्रिक्स में बदल गए हैं।
- व्यापार और निवेश में उछाल:** आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ECTA) के तहत, 100% भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है, जो \$50 बिलियन के संचयी सीमा पार निवेश के सहयोग से 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को \$100 बिलियन के लक्ष्य की ओर ले जाने में मदद कर रहा है।
- रक्षा और समुद्री एकीकरण:** संस्थागत वार्ताओं और AUSINDEX, मालाबार (Malabar) और टैलिस्मान सेबर (Talisman Sabre) सहित उच्च स्तरीय बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में सक्रिय संयुक्त भागीदारी के कारण रक्षा सहयोग सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है।
- स्वच्छ ऊर्जा और यूरेनियम की संभावनाएं:** नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी सौर और हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि भविष्य में ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम निर्यात के लिए आगामी व्यवस्थाएं भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं।
- शिक्षा और कौशल हब:** सौर ऊर्जा और खनन क्षेत्रों में लक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ भारत के भीतर स्वतंत्र ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय परिसरों (कैंपस) के माध्यम से संयुक्त शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र आकार ले रहे हैं।
- बहुपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा:** दोनों देश महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं, अर्धचालकों (सेमीकंडक्टर्स) और एक स्वतंत्र भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए मिनीलेटरल (लघु-पक्षीय) संरचनाओं—जैसे कि क्वाड (Quad), आईओआरए (IORA) और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)—का सक्रिय रूप से लाभ उठा रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA):** टैरिफ को कम करने, व्यापार बाधाओं को दूर करने और वस्तुओं व सेवाओं के लिए सुचारू बाजार पहुंच की सुविधा के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय तरजीही व्यापार समझौता।
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (Supply Chain Resilience Initiative - SCRI):** विनिर्माण केंद्रों में विविधता लाकर और महत्वपूर्ण संसाधन चैनलों को सुरक्षित करके किसी एक शक्तिशाली देश (चीन) पर निर्भरता कम करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू किया गया एक त्रिपक्षीय तंत्र।
- मिनीलेटरलिज्म (लघु-पक्षीयता):** एक राजनयिक रणनीति जिसमें पारंपरिक बहुपक्षीय निकायों की तुलना में विशिष्ट रणनीतिक, आर्थिक या सुरक्षा चुनौतियों का तेजी से समाधान करने के लिए राज्यों के छोटे, केंद्रित समूह (जैसे, भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय) शामिल होते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- संविधान का अनुच्छेद 51:** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और एक-दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में संधि दायित्वों का सम्मान करने का निर्देश देता है।
- नागरिक परमाणु सहयोग समझौता (2014):** वह वैधानिक द्विपक्षीय संधि ढांचा जो ऑस्ट्रेलिया को विशेष रूप से शांतिपूर्ण, मॉनिटर किए गए नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत को यूरेनियम निर्यात करने का कानूनी तंत्र प्रदान करता है।
- सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005 (Weapons of Mass Destruction Act, 2005):** सख्त अप्रसार अनुपालन की गारंटी देने के लिए भारत का घरेलू कानूनी प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है, जो ऑस्ट्रेलिया जैसे वैश्विक संसाधन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पूर्व-शर्तों को पूरा करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों का यह रूपांतरण आर्थिक आवश्यकता और भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के एक संरचनात्मक अभिसरण को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की विशाल प्राकृतिक संसाधन संपदा—विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम—को भारत के विनिर्माण पैमाने, तकनीकी कार्यबल और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के साथ संरेखित करके, यह साझेदारी भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए स्थिरता का एक महत्वपूर्ण आधार स्थापित करती है।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध):** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; हिंद महासागर कूटनीति और क्वाड (Quad) का रणनीतिक ओरिएंटेशन।
- जीएस पेपर III (सुरक्षा और अर्थव्यवस्था):** रक्षा स्वदेशीकरण, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों का विविधीकरण और स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचा संक्रमण।

11. जनगणना पूर्व-परीक्षण (Pre-Test) में जाति को शामिल करना: पद्धतिगत और रणनीतिक आयाम

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- जनगणना पूर्व-परीक्षण की शुरुआत:** नव तैयार प्रश्नावली की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या जनगणना के अंतिम चरण के लिए 15 दिवसीय प्रशासनिक "पूर्व-परीक्षण" (प्री-टेस्ट) या रिहर्सल शुरू हुआ।
- ओपन-कॉलम जाति गणना:** चल रहे पूर्व-परीक्षण में उत्तरदाताओं के लिए अपनी विशिष्ट जातियों की स्व-रिपोर्ट करने के लिए एक "ओपन कॉलम" (खुला कॉलम) दिया गया है, जो यह तय करने के लिए आधारभूत पायलट के रूप में कार्य कर रहा है कि स्वतंत्र भारत पहली बार जाति की संरचनात्मक गणना कैसे करेगा।
- दशकीय नीति में ऐतिहासिक बदलाव:** 1947 के बाद केवल अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की गिनती करने की नीति से हटकर, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि व्यापक जनसंख्या जनगणना 2027 में जातिवार गणना को पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा।
- वैधानिक ढांचा बनाम 2011 SECC:** 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के विपरीत, जिसे संरचनात्मक जनगणना ढांचे के बाहर कार्यकारी आदेशों के माध्यम से निष्पादित किया गया था, 2027 के इस अभ्यास में जाति को मुख्य जनगणना अनुसूची में एकीकृत किया गया है ताकि इसे पूर्ण वैधानिक समर्थन मिल सके।
- ओपन-एंडेड डेटा की चुनौती:** सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 2011 के SECC के ओपन-एंडेड डिज़ाइन के कारण वर्तनी (स्पेलिंग) में गंभीर भिन्नताएं और उप-जाति वर्गीकरण की समस्याएं आईं, जिससे 1931 की जनगणना में दर्ज केवल 4,147 नामों की तुलना में 46 लाख से अधिक विशिष्ट जाति के नाम सामने आ गए।
- जनसंख्या जनगणना 2027 की समयसीमा:** 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण आए व्यवधानों के बाद, यह व्यापक गणना अभ्यास 28 फरवरी, 2027 तक दो व्यापक चरणों में संपन्न होगा, जिससे 1 मार्च, 2027 को आधिकारिक जनगणना संदर्भ तिथि (रेफरेंस डेट) के रूप में स्थापित किया जाएगा।

What's new in the 2027 Census notification?

- The Union Home Ministry issued the notification on 16 June under Section 3 of the Census Act, 1948.
- It supersedes the earlier 2019 notification for the 2021 Census, which was delayed due to COVID-19.
- This will be the 16th Census overall and the 8th since Independence.
- It is expected to include caste-based enumeration for the first time since 1931.
- The process will be digital-first, with enumerators using mobile apps, and a self-enumeration option available to citizens.
- Around 34 lakh enumerators and supervisors will be deployed, backed by about 1.2 lakh census officers.

आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- पूर्व-परीक्षण / प्री-टेस्ट (जनगणना):** राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले ड्राफ्ट प्रश्नावली की स्पष्टता, परिचालन व्यवहार्यता, डेटा-प्रसंस्करण अनुकूलता और सार्वजनिक प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित एक स्थानीयकृत, प्रारंभिक पायलट अभ्यास।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC):** राज्य कल्याणकारी लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए जातिगत पहचान के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी गरीबी संकेतकों की पहचान करने के उद्देश्य से किया जाने वाला एक अलग, बहु-एजेंसी घरेलू खोज अभ्यास।

- संदर्भ तिथि (Reference Date):** जनसांख्यिकीविदों द्वारा सभी घरेलू गणनाओं और जनसंख्या विशेषताओं को एक निश्चित समय से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट कालानुक्रमिक बिंदु (जैसे, 1 मार्च, 2027 को रात 12 बजे), जो अस्थायी प्रवासन (टेंपरी माइग्रेशन) के चरों को अलग करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- जनगणना अधिनियम, 1948:** केंद्रीय कानून जो केंद्र सरकार के अधिकार के तहत जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के लिए आवश्यक वैधानिक ढांचा, शक्तियां और पूर्ण डेटा-गोपनीयता की गारंटी प्रदान करता है।
- संघ सूची क्षेत्राधिकार (सातवीं अनुसूची):** भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची। की प्रविष्टि 69 के तहत, राष्ट्रीय जनगणना की योजना, निष्पादन और विधायी निरीक्षण विशेष रूप से संसद के दायरे में आते हैं।
- अनुच्छेद 340 (पिछड़े वर्गों की स्थितियों के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति):** सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है, जो कि पूरी तरह से सत्यापित, अनुभवजन्य जनसंख्या आंकड़ों पर निर्भर है।

निष्कर्ष (Conclusion)

जनगणना पूर्व-परीक्षण में जाति के लिए एक ओपन कॉलम को शामिल करना समानता की राजनीतिक मांगों और गणितीय डेटा सटीकता के बीच जटिल प्रशासनिक संतुलन को उजागर करता है। इन परिणामों को एक स्पष्ट, कानूनी रूप से सुदृढ़ वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) में मानकीकृत करना यह निर्धारित करेगा कि आगामी 2027 की जनगणना लक्षित राज्य कल्याण और आरक्षण नीतियों के लिए एक विश्वसनीय अनुभवजन्य आधार प्रदान करने में सफल होती है या नहीं।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** शक्तियों का हस्तांतरण, वैधानिक निकाय, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सकारात्मक कार्यवाई (अफरमेटिव एक्शन) को लक्षित करने वाली सरकारी नीतियां।
- जीएस पेपर I (भारतीय समाज):** समकालीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण, जातिगत गतिशीलता, शहरीकरण और जनसांख्यिकीय बदलाव।

12. व्हाट्सएप यूजरनेम विवाद: सूचनात्मक गोपनीयता और साइबर सुरक्षा का संतुलन

मुख्य अंश और सारांश (Key Highlights & Summary)

- यूजरनेम फीचर का टकराव:** व्हाट्सएप ने उपयोगकर्ताओं को अज्ञात संपर्कों से अपने व्यक्तिगत फोन नंबर छिपाने की अनुमति देने के लिए एक वैकल्पिक "यूजरनेम" फीचर की घोषणा की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इसके रोलआउट पर रोक लगा दी।
- साझा रणनीतिक उद्देश्य:** विरोधाभास यह है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और केंद्र सरकार दोनों ही एक समान बुनियादी लक्ष्य का पीछा करने का दावा करते हैं: घरेलू नागरिकों की डिजिटल और सूचनात्मक गोपनीयता (इंफॉर्मेशनल प्राइवसी) की रक्षा करना।

- **MeitY की साइबर अपराध संबंधी आशंकाएं:** सरकार ने चेतावनी दी है कि फोन नंबरों को कस्टमाइज़ेबल यूजरनेम के पीछे छिपाने से पहचान की धोखाधड़ी (आइडेंटिटी स्पाफिंग), डिजिटल अरेस्ट स्कैम, फ़िशिंग और सार्वजनिक या वित्तीय अधिकारियों के रूप में प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) के मामलों में भारी बढ़ोतरी होगी।
- **वैधानिक प्राधिकरण पर बहस:** आलोचकों का तर्क है कि राज्य स्पष्ट वैधानिक आधार के बिना किसी वैध उत्पाद फीचर को कानूनी रूप से ब्लॉक नहीं कर सकता है, जबकि राज्य का मानना है कि उसके हस्तक्षेप सार्वजनिक कल्याण और राज्य की सुरक्षा की रक्षा करने के संप्रभु दायित्व के तहत आते हैं।
- **आनुपातिकता का सिद्धांत (Doctrine of Proportionality):** कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि प्रौद्योगिकी सुविधाओं को प्रतिबंधित करने वाले किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को न्यायिक त्रि-स्तरीय परीक्षण को कड़ाई से पूरा करना चाहिए: वैधता, वैध राज्य उद्देश्य और संरचनात्मक आनुपातिकता।
- **वरीयता का पेंडुलम:** आधुनिक न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए, यह विवाद व्यक्तिगत डिजिटल स्वतंत्रता से समझौता किए बिना राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनुकूलित करने की क्लासिक प्रशासनिक चुनौती को रेखांकित करता है।



आवश्यक परिभाषाएं (Essential Definitions)

- **सूचनात्मक गोपनीयता (Informational Privacy):** गोपनीयता के अधिकार का एक विशिष्ट पहलू जो किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल फुटप्रिंट्स और संचार पहचानकर्ताओं के प्रसार को नियंत्रित, प्रबंधित और प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।
- **डिजिटल अरेस्ट स्कैम (Digital Arrest Scam):** साइबर धोखाधड़ी का एक रूप जहां अपराधी वीडियो कॉल के माध्यम से कानून प्रवर्तन या सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करते हैं, और पीड़ितों को मानसिक रूप से बंधक बनाने तथा पैसे वसूलने के लिए मनगढ़ंत आरोपों का उपयोग करते हैं।
- **पहचान की धोखाधड़ी (Identity Spoofing):** एक साइबर हमला जिसमें एक दुर्भावनापूर्ण कर्ता अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए पहचान डेटा को बदलकर किसी विश्वसनीय व्यक्ति, ब्रांड या सरकारी संगठन का रूप धारण कर लेता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा (Legal and Constitutional Framework)

- **अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार):** वह संवैधानिक आधार जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने गोपनीयता के मौलिक अधिकार को मान्यता दी, जो राज्य और गैर-राज्य दोनों कर्ताओं से खतरों की कड़ाई से जांच करता है।
- **जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017):** यह ऐतिहासिक निर्णय यह निर्धारित करता है कि सूचनात्मक गोपनीयता एक अविभाज्य अधिकार है, साथ ही यह भी नोट करता है कि साइबर खतरे वित्तीय प्रणालियों को अस्थिर कर सकते हैं और आनुपातिक राज्य नियमों को सही ठहरा सकते हैं।
- **अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):** सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि कानून और तकनीक को एक साथ सह-अस्तित्व में होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य की कार्यवाहियों को स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच इस तरह संतुलन बनाना चाहिए कि पेंडुलम किसी भी चरम सीमा पर न झुके।

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023:** प्राथमिक वैधानिक ढांचा जो यह नियंत्रित करता है कि डेटा फिज्यूशियरीज व्यक्तिगत डेटासेट को कैसे संसाधित करते हैं, जिससे भारत के अधिकार क्षेत्र में उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा के लिए स्पष्ट जवाबदेही स्थापित होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)

MeitY और व्हाट्सएप के बीच यह गतिरोध यूजर-एंड एन्क्रिप्शन फीचर्स और राज्य के नेतृत्व वाले साइबर सुरक्षा शासनादेशों के बीच जटिल टकराव को उजागर करता है। इस तनाव को हल करने के लिए पूर्ण रूढ़िवादी रुख से दूर हटने, सहयोगी नियामक सैंडबॉक्स का उपयोग करने और स्पष्ट तकनीकी प्रोटोकॉल स्थापित करने की आवश्यकता है जो संस्थागत प्रतिरूपण का मुकाबला करने के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करते हुए व्यक्तिगत गुमनामी को बनाए रखें।

यूपीएससी प्रासंगिकता (UPSC Relevance)

- **जीएस पेपर II (राजव्यवस्था और शासन):** मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21, न्यायिक समीक्षा और तकनीकी प्लेटफॉर्मों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं को प्रभावित करने वाले सरकारी नियम।
- **जीएस पेपर III (आंतरिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी):** साइबर सुरक्षा खतरे, डिजिटल धोखाधड़ी, डेटा संरक्षण कानून और एन्क्रिप्टेड संचार नेटवर्क के प्रबंधन की चुनौतियाँ।

